

(58)

परिशिष्ट: बी

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग

क्रमांक प. 8(10)प्र.सु./अनु3/2011

दिनांक: 23-7-2015

आदेश

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शंकास्पद / फर्जी एवं अनाधिकृत रूप से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राजनैतिक चुनाव एवं अन्य अवसरमक सुविधाओं का लाभ से रहें है, जिससे वास्तविक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति वंचित रह जाते हैं। इस संबंध में मनीष्य न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में छानबीन समिति गठन करने का निर्णय दिये है। अतः ऐसे शंकास्पद/फर्जी प्रमाण पत्रों को जारी होने तथा दुरुपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिये निम्नानुसार जिला स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया जाता है:-

■ जिला स्तरीय

1. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2. अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व)	समन्वयक
3. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी (भाडा), जिला परीषद	सदस्य
4. स्थानित उप जिला मजिस्ट्रेट / उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
5. जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अल्पसंख्यक विभाग	सदस्य

जिला स्तरीय छानबीन समिति के कार्य एवं शक्तियां

1. समिति की बैठक प्रतिमाह अवसरमक रूप से की जाएगी तथा समिति में जो भी मामले प्राप्त होंगे उन सब मामलों का एक रजिस्टर में नियमित रूप से संभारण किया जायेगा। तथा समिति की बैठक आयोजित करने के लिये अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्व (समन्वयक) प्रभारी अधिकारी होंगे।
2. समिति में झूटे, फर्जी एवं शंकास्पद जाति प्रमाण-पत्रों के मामलों दर्ज किये जा सकेंगे तथा समिति जारी किये गये जाति प्रमाण-पत्रों की अपने स्तर पर परीक्षण करेगी तथा परीक्षण उपरान्त सत्यता का निष्कर्ष सहित अपना निर्णय लिया जाकर जाति प्रमाण-पत्र की वैधता/अवैधता के संबंध में समुचित आदेश दो माह में जारी करेगी। तथा उक्त निर्णय की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा अविलम्ब संशोधित पत्रों को दी जावेगी। न्यायलिंग की स्थिति में उसके माता-पिता / सस्यक को सूचना प्रेषित की जावेगी। यदि उक्त अवधि में निर्णय नहीं किया जा सकता है तो उसके कारणों का अंशान किया जाना आवश्यक होगा।

3. जाति प्रमाण पत्रों की सत्यापना या परीक्षण करने के समय संबंधित पक्षों तथा प्राधिकारियों को जिसका जाति प्रमाण-पत्र है उसको अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किये जा सकेंगे।
4. जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में शिकायतकर्ता एवं उक्त पक्ष जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी है जिला स्तरीय समिति के निर्णय से अर्थात् होने पर वह सज्य नंतर छानबीन समिति से जिला समिति के निर्णय दिनांक से 30 दिवस में अपील की जा सकेगी। सज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन सज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 6(10) प्र0सु0वि0/अनु-3/2011 जयपुर दिनांक 18.03.11 द्वारा किया गया है।
5. संकारपद प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवाई करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही करना।
6. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।
7. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने के कारण जिसे सजा हुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायफ ( unfit ) घोषित करना।
8. गलत प्रमाण पत्र के मामलों में नियोजित/ शैक्षिक संस्थाओं के सस्था प्रधान को इसके बारे में जानकारी देकर संबंधित व्यक्ति को वर्तमान पद से बर्खास्त करने के आदेश करना।

(रमेश चंद्र भास्कराज)  
शासन उप सचिव

दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ हेतु प्रेषित है:-

- 1) अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामन्त्रिब राजस्थान महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3) निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
- 4) अध्यक्ष राजस्थान पत्रकार संघ, जयपुर
- 5) निजी सचिव, सभारत मंत्रीमण/ राज्य मंत्रीमण राजस्थान सरकार, जयपुर
- 6) सभारत प्रमुख सचिव/ सभारत सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- 7) सभारत विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 8) सचिव, राज्यमण विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
- 9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
- 10) सचिव, समाधिना न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
- 11) सचिव, जनजाति वन्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 12) भारत संभागीय आयुक्त.....
- 13) राजस्थान जिला कलेक्टर.....
- 14) सभारत जिला पुलिस अधीक्षक.....
- 15) सचिव सभारत आयोग/ बोर्ड.....
- 16) सभारत निदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परीक्षा एवं सभारत कल्याण अधिकारी, सभारत न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....

(रमेश चंद्र भास्कराज)  
शासन उप सचिव